न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 90/2013 नया दर्ज 17/2022
प्रकरण दायर दिनांक 14.05.2013, 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 25.02.2022

उनवान

मोहन लाल वगै0 बनाम गंगासहाय वगै

1. मोहन लाल
2. गब्बू राम
3. बुद्धा राम
4. प्रभू दयाल
5. रामचरण
6. मु. बच्ची देवी
7. हरिया राम
8. सोन्या राम
9. छोटे लाल

पुत्रान श्री मेवाराम जाति माली निवासी पामाडी वगै0

बेवा मेवाराम
पुत्रान पांचुराम समस्त जाति माली नि0 पामाडी तह0 बसवा

–: वादी

बनाम:–

1. गंगा सहाय पुत्र किशन्या जाति माली
2. गोपाल पुत्र किशन्या
3. रामस्वरूप पुत्र रामकिशोर
4. बसन्तीलाल पुत्र रामकिशोर
5. हरिसिंह पुत्र रामकिशोर
6. गोविन्दाराम पुत्र श्रीया
7. जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीया
8. घनश्याम पुत्र श्रीया
9. छोटेलाल पुत्र श्रीया

समस्त जातियान माली एवं समस्त निवासियान ग्राम पामाडी

10. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा।

:– प्रतिवादीगण

" दावा इस्तकरार हक खातेदारी व नल एवं वाईड करार दिये जाने बयनामा "

:::– निर्णय –:::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते दावा इस्तकरार हक खातेदारी व नल एवं वाईड करार दिये जाने बयनामा दिनांक 10.5.2013 व स्थयी निषेधाज्ञा बाबत आराजी ख0न0 919,920 रकबा 0.14 है0 स्थित ग्राम पामाडी तह0 बसवा जिला दौसा बरूये शहादत तहरीरी व तकरीरी न्यायालय उप– जिला कलेक्टर बादीकुई में दिनांक 14.05.2013 को पेश किया ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा की खतोनी संख्या नई 20 पुरानी 21 ख0न0 919 रकबा 0.10

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

है0, ख.नं0 920 रकबा 0.04 है0 स्थित है जिसके गत खसरा न. 231 व 232 थे, जिसे भूमि मुतदाविया गत खसरा नं0 231 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व ख0 नं0 232 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ग्राम पामाडी मे स्थित थे जिस पर वादीगण नं0 1 लगा0 5 का बाबा व वादिया नं0 6 का ससुर व प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 9 का पिता मांचुराम 1/8 हिस्से पर संवत 2012 से पूर्व से राज0 काश्तकारी अधि0 लागू होने से पूर्व ही काबिज काश्त चला आ रहा है। और संवत 2050 मे जब बसवा तहसील मे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा एकीकरण किया गया व पुराने नंबरो से नये नंबर कायम किये गत ख0नं0 231 व 232 पर जिस जगह वादीगण का कब्जा था उस कब्जे के मुताबिक हाल ख0नं0 919, रकबा 0.10 है0, 920 रकबा 0.04 है0 का बनाया गया। भू-प्रबन्ध विभाग को खातेदारी दर्ज करने का अधिकार नही था इस कारण दीगर भूमि के साथ इन खसरा नंबरान की खातेदारी भी प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के नाम दर्ज करदी लेकिन कब्जा काश्त 0.14 है0 भूमि पर संवत 2012 के पूर्व से ही वादीगण का आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है। और वादीगण का बारह वर्ष से अधिक का एडवर्स पेजेशन हो चुका है। कानूनन वादीगण ख0 नं0 919 व 920 के खातेदार काश्तकार हो चुके है और वादीगण खतोनी संख्या नई 20 पुरानी 21 मे इन खसरा नंबरान से प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का नाम हजफ सरकार अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह है कि प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के नाम हो रही गलत खातेदारी की आड में बिना कोई कब्जा काश्त हुये बगैर प्रतिवादीगण से नं0 1 व 2 ने बदयान्ति पूर्वक दीगर भूमि के साथ वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को भी प्रतिवादीगण नं0 3 लगा0 9 को दिनांक 10.05.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादीगण नं0 एक व दो का न तो इस भूमि मुतदाविया पर कोई कब्जा काश्त ही है और न कोई सरोकार ही है। उसके बावजुद भी बदयान्ति पूर्वक वादीगण को उनके जायज अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से व वादीगण को बरबाद करनेकी नियत से गलत फर्जी व साजशी बयनामा दिनांक 15.05.2013 को पंजिमृत कराया है जो पुस्तक सं. 1 भाग संख्या 231 क्रम संख्या 216 व पृष्ठ सं0 123 पर पंजिकृत हुआ है वादीगण के हक हकूक भूमि मुतदाविया की बाबत कालेअदम गैर मौसर प्रभाव हीन व शून्य है। और वादीगण ख0न0 919 व 920 की बाबत बयनामा दिनांक 10.05.2013 करे नल एण्ड वाईड करार घोषित कराने के अधिकारी है इस अमर की घोषणा न्यायालय हाजा से कराने के अधिकारी है।

प्रतिवाद पत्र मिन जानिब प्रतिवादीगण 03 लगायत 9 की ओर से निम्न प्रकार पेश किया गया। यह कि वाद पत्र का पैरा न0 एक में भूमि मुतदाविया का ग्राम पामाडी में स्थित होना स्वीकार है बकिया मजमून जिस प्रकार तहरीर किया गया गलत स्वीकार नही है। पैरा न0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया गलत है स्वीकार नही है भूमि मुतदाविया ख0न0 231 रकबा एक बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 232 रकबा एक बीघा सात बिस्वा भूमि शुरू से ही प्रतिवादीगण एक व दो के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है जिससे वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबध व सरोकार आज तक नही रहा है। तथा प्रति-वादीगण न0 1 व 2 बजमाने बुर्जगान से काबिज रहकर काश्त करते रहे है। वादीगण ने कभी भी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त नही की है। पैरा हाजा मे सारे वाक्यात कतई गलत मनगढंत व बनावटी दर्ज किये गये है। यदि मुताबिक कोल वादीगण भूमि मुतदाविया पर संवत 2011 में वादीगण का कब्जा काश्त होता तो वर वक्त प्रथम एकिकरण संवत 2012 में जिन काश्तकारो का जिस जगह कब्जा था उसी जगह उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त सरकार द्वारा कर दिये गये थे। वादीगण को न तो खातेदारी अधिकार ही दिये और कोई कृषक की हैसियत से ही कोई उनका नाम खातेदारी में दर्ज किया गया । इससे साफ जाहिर है कि वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संवंध भूमि मुतदाविया से नही रहा है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) ...

तत्कालीन खातेदार प्रतिवादीगण न. 1 व 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.05.2013 को हम प्रतिवादीगण से आठ लाख रूपये में नकद लेकर भूमि मुतदाविया को बेचान किया है और इस रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर हम प्रतिवादीगण न. 3 लगायत 09 हक में नामान्तरण संख्या 220 दिनांक 20.05.2013 को खुल चुका है। और हम प्रतिवादीगण न. 03 लगायत 9 पूर्ण रूपेण भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण भूमि मुतदाविया के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण को हम प्रतिवादीगण न0 3 लगायत 9 का नाम खातेदारी से हजफ कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वाद पत्र का पैरा न0 3 में दिनांक 10.05.2013 को प्रतिवादीगण न. 1 व 2 द्वारा हम प्रतिवादीगण न. 03 लगायत 9 को बिल एवज आठ लाख रूपये में भूमि मुतदाविया का बेचान करना स्वीकार है बकिया मजमून जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है दिनांक 10.05.2013 तक प्रतिवादीगण न.1 व2 भूमि मुतदाविया पर काबिज थे और खातेदार थे तथा उन्होने अपने अधिकार के तहत भूमि मुतदाविया का बेचान हम प्रतिवादीगण न. 3 लगायत 9 को बिल एवज आठ लाख रूपये लेकर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा किया है। और 10.05.2013 से आज दिन तक हम प्रतिवादीगण 03 लगायत 9 भूमि मुताविया पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को बयनामा दिनांक 10.05.2013 को लन एण्डवाईज करार कराने का कोई कानूनी अधिकार नही है पैरा हाजा में सारे वाक्यात कतई गलत मन गढंत बनावटी व फर्जी दर्ज किये गये है। भूमि मुतदाविया की बावत किसी कदर भी वादीगण द्वारा चाही गयी घोषणा नही की जा सकती है। प्रतिवादीगण 03. लगायत 09 भूमि मुतदाविया के खातेदार काश्तकार है और कानूनन खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वाक्यात कतई गलत मन गढंत फर्जी व बनावटी दर्ज किये जाना अंकित किया गया है।

वादी वाद पत्र एवं जवाब वाद प्रतिवादी के अभिवचनो के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई

1. आया वादीगण विवादित भूमि के खातेदार अधिकार पाने का अधिकारी है।

   वादीगण :-

2. आया वादीगण विवादित आराजी में कराये गये बयनामा दिनांक 10.05.13 के नल एण्ड वाईट कराने के अधिकारी है।

   वादीगण :-

3. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

   वादीगण :-

4. आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा कास्त चला आ रहा है।
5. दादरसी

वाद की ताईद में बतोर साक्ष्य शपथ पत्र स्वंय वादी मोहन लाल एवं गवाह भौरी लाल पुत्र हनूता जाति मीना निवासी पामाडी रेवडमल पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी पामाडी पेश किया. उपरोक्त प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा सं. सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई को 03.01.2022. प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रकरण साक्ष्य शपथ पत्र जिरह पूर्ण होने पर बहस में नियत किया गया उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा बहस सुनाई गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी वादी वकील द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमे वर्णित किया कि ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा मे खतौनी संख्या नई 20 पुरानी 21 के

सहायक कलैक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 919 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 920 रकबा 0.04 है0 स्थित है जिसके गत खसरा नं. 231 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा थे जिस पर प्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 का बाबा व प्रार्थीया संख्या 06 का ससुर व प्रार्थीगण संख्या 7 लगा0 09 का पिता पांचुराम 1/8 हिस्सा पर संवत् 2012 से पूर्व से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही काबिज काश्त चला आ रहा है। और संवत् 2050 मे जब बसवा तहसील मे भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा एकीकरण किया गया व पुराने नंबरो से नये नंबर कायम किये गये तब गत खसरा नं. 231 व 232 पर जिस जगह पर प्रार्थीगण का कब्जा था उस कब्जे के मुताबिक हाल खसरा नं. 919 रकबा 0.10 है0 खसरा नं. 920 रकबा 0.04 है0 का बनाया गया। भू–प्रबन्धक विभाग को खातेदारी दर्ज करने का अधिकार नही था इस कारण दीगर भूमि के साथ इन खसरा नंबरान की खातेदारी भी प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी लेकिन कब्जा काश्त 0.14 भूमि है0 भूमि पर संवत् 2012 के पूर्व से ही प्रार्थीगण का 12 वर्ष से अधिक का एडवर्ज पजेशन हो चूका है कानूनन प्रार्थीगण खसरा नं. 919 व 920 के खातेदार काश्तकार हो चुके है। प्रार्थीगण नं. 01 व 02 का नाम हजफ कराकर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम हो रही गलत खातेदारी की आड मे बिना कोई कब्जा काश्त हुए बगैर प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 ने बदयान्ति पूर्वक दीगर भूमि के साथ प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को भी प्रतिवादीगण नं. 3 लगा0 9 को दिनांक 10.05.2013 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया प्रार्थीगण खसरा नं. 919 व 920 की बावत बयनामा दिनांक 10.05.2013 को नल एण्ड वाईड करार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस मे जाहिर किया की उक्त विवादित भूमि पर संवत 2011 मे वादीगण का कब्जा काश्त होता तो वर वक्त प्रथम एकीकरण संवत 2012 मे जिन काश्तकारो का जिस जगह कब्जा था उसी जगह उनको खातेदारी अधिकार प्रापत सरकार द्वारा कर दिये गये थे। वादीगण को न तो खातेदारी अधिकार ही दिये गये और कोई कृषक की हैसियत से ही कोई उनका नाम खातेदारी मे दर्ज किया गया। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबंध भूमि मूतदायिा से नही रहा है। तत्कालीन खातेदार प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 जरिए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.05.2013 को हम प्रतिवादीगण से आठ लाख रूपये नगद लेकर भूमि मूतदाविया को बेचान किया है उस इस रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर हम प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 9 हक मे नामान्तकरण संख्या 220 दिनांक 20.05.2013 को खुल चुका है। और हम प्रतिवादीगण नं. 03 लगायत 9 पूर्ण रूपेण भूमि मूतदाविया पर काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण भूमि मूतदाविया के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण को हम प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 9 का नाम खातेदारी से हजफ कराने का कोई काननी अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण का किस हैसियत से कब्जा काश्त रहा है क्योकि न तो वादीगण खातेदार और न ही वादीगण उपकृषक की हैसियत से ही दर्ज हुये है । 12 वर्ष से अधिक का एडवर्स पजेशन हो चुका है इस आधार पर वादीगण को खतेदारी अधिकार कानूनन नही दिये जा सकते है इस कारण दावा वादीगण चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण नं0 3 लगा0 9 के हक मे भूमि मूतदाविया की बावत रजिस्टर्ड बयनामा पंजीकृत हुआ है जब तक वादीगण सिविल न्यायालय मे उस बयनामे को कैन्सिल नही करा लेते तक तक वादीगण को भूमि मूतदाविया की बावत कोई अधिकार प्राप्त नही होते है और न वादीगण को दावा पेश करने का अधिकार ही प्राप्त है इस कारण दावा वादीगण चलने योग्य नही है खारिज किया जाना व्यक्त किया गया है।

तनकीयात का विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. आया वादीगण विवादित भूमि के खातेदार अधिकार पाने का अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बसवा

Scanned with CamScanner

वादीगण :–

तनकी नं0 1 साबित करने का भार वादीगण पर है। उक्त विवादित भूमि पर संवत 2011 मे वादीगण का कब्जा काश्त होना तो दर नकल प्रथम एकीकरण संवत 2012 मे जिन काश्तकारो का जिस जगह कब्जा था उसी जगह उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त सरकार द्वारा कर दिये गये थे। वादीगण को न तो खातेदारी अधिकार ही दिये गये और कोई कृषक की हैसियत से ही कोई उनका नाम खातेदारी मे दर्ज किया गया। अतः तनकी नं0 1 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया वादीगण विवादित आराजी मे कराये गये बयनामा दिनांक 10.05.13 के नल एण्ड वाईट कराने के अधिकारी है।

वादीगण :–

तनकी नं0 02 को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादीगण नं0 3 लगा0 9 के हक मे भूमि मुतदाविया की बाबत रजिस्टर्ड बयनामा पंजीकृत हुआ है, जिसे कैन्सल करने का अधिकार इस न्यायालय क्षेत्राधिकार मे नही है। अतः तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

3. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

वादीगण :–

तनकी नं0 03 को साबित का भार वादीगण पर है। प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 9 दर्ज खातेदार है। किसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। अत तनकी नं0 3 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

4. आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा कास्त चला आ रहा है।

कब्जे काश्त के आधार पर इस्तकरार हक एवं खातेदारी नही दी जा सकती है। अत तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के समग्र विवेचन एवं रजिस्टर्ड बयनामा व वर्तमान मे विवादित भूमि प्रतिवादीगण दर्ज खातेदार होने से हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा काबिले खारिज होना उचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा मे खतौनी संख्या नई 20 पुरानी 21 के खसरा नं. 919 रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 920 रकबा 0.04 है0 स्थित है जिसके गत खसरा नं0 231 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर दर्ज वादीगण का दावा को खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भावना शर्मा)

आरएएस

सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक

बांदीकुई जिला दौसा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner